

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

क्रमांक दुरुस्ती/21/785

दिनांक 24.11.21

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मेहराना भू. अभिलेख निरीक्षक मेहराना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार भादरा/नायब तहसीलदार दानीया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मेहराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2074-77 में खाता संख्या 66/65 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र. स.	ग्राम/चक	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	7 एम आरएन	37/32		महुबुब खाँ डफ
2	9 एम आरएन	66/65	महुबुब खाँ	सुपरीन
3	9 एम आरएन	67/66		

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़
मेहराना

दिनांक: 24.11.21

क्रमांक:- सम/21/786-87

प्रलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एवं बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी/प्रार्थिया सुपरीन को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़
मेहराना